Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम..............रायसिंहनगर

रूपाबाई आदि बनाम सुरजीतो बाई आदि

किस्म मुकदमा 188–209 आरटीए नम्बर .... 194 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025 / 480

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी किए
10.2025	वादीया रूपाबाई पुत्री बलवन्त सिहं जाति रायसिख निवासी 44 पी ए तहसील रायसिंहनगर वगैरा की ओर से श्री प्यारे लाल कच्छवा अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.11.2025 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	1420 17/10/25
4/11	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 5/1/26 को पेश हो।	
5/1/26	बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दिनाक 19/1/26 को पेश हो।	
19/1/26	वकील वादिनी हाजिर। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 22/1/26 को पेश हो।	
22/1/26	आज पत्रावली [illegible] जरिये अधिवक्ता [illegible] हिन्दपाल कोर्ट के जरिये [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया कि [illegible] पर पेशी दि [illegible] बाद [illegible] दावा [illegible] हो गई। [illegible] कि अधिकारी का [illegible]	हिन्दपाल रूपाबाई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

वाद पत्र विड्रो करने की स्वीकृति प्रदान की।)

वादिनी के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दरख्वास्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादिनी स्वयं वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहती है अतः वादिनी को वाद पत्र पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर शामिल रिकार्ड हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:02 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner